न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
प्रार्थना पत्र सं0 3/05
निर्णय दिनांक : 02.04.2018

1. रामू उर्फ रामलाल पुत्र श्री नाथू जाति कुम्हार नि0 ईरोलाव तह0 फुलेरा जिला जयपुर

अपीलान्ट

बनाम

1. मूलचन्द पुत्र रामू जाति कुमावत नि0 मोरूदा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
2. कैलाश पुत्र रामू जाति कुमावत नि0 मोरूदा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
3. श्रीमती संतोष पत्नि स्व0 श्रवण जाति कुमावत नि0 मोरूदा तह0 फुलेरा
4. गोपाल पुत्र रामू जाति कुमावत नि0 मोरूदा तह0 फुलेरा जिला जयपुर
5. सरंपच ग्राम पंचायत श्रीरामपुरा पंचायत समिति दूदू जिला जयपुर
6. रमेश पुत्र स्व0 श्रवण जाति कुमावत नाबालिक जरिये वली माता श्रीमती संतोष पत्नि स्व0 श्रवण जाति कुमावत नि0 मोरूदा
7. हरिशंकर पुत्र स्व0 श्रवण जाति कुमावत नाबालिक जरिये वली माता श्रीमती संतोष पत्नि स्व0 श्रवण जाति कुमावत नि0 मोरूदा

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व नामान्तकरण सं0 563 दिनांक 21.02.05
ग्राम पंचायत श्रीरामपुरा पंचायत समिति दूदू जिल जयपुर

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खं0नं0 99/3 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खं0नं0 263/2 रकबा 2 बीघा, खं0नं0 270/1 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, खं0नं0 353 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, खं0नं0 359/370 रकब 2 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 15 बीघा 3 बिस्वा वाकै ग्राम मोरूदा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है। जिस पर अपीलान्ट काबिज है काश्त करता है व लगान अदा करता है उक्त आराजी अपीलान्ट को दिनांक 18.06.64 विधिनुसार राजस्थान सरकार द्वारा आवंटित की गयी थी। रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 व मृतक श्रवण व रेस्पोडेन्ट सं0 4 या मृतक रामू पुत्र जोधा का विवादित आराजी से कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा है न ही उक्त भूमि कभी रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 मृतक श्रवण व रेस्पोडेन्ट सं0 4 या मृतक रामू पुत्र जोधा के नाम खातेदारी में रही, न ही उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 व मृतक श्रवण व रेस्पोडेन्ट सं0 4 या रामू पुत्र जोधा का कभी कोई कब्जा काश्त रहा रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2, मृतक श्रवण व रेस्पोडेन्ट सं0 4 की नियत में फितुर उत्पन्न हो गया तथा वे अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि को नाजायज हड़प करने के इरादे से रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 व मृतक श्रवण व रेस्पोडेन्ट सं0 4 व 5 व सचिव ग्राम पंचायत श्रीरामपुरा से साजकर विवादित आराजी के खातेदार अपीलान्ट जिंदा होते हुये भी मृतक रामू पुत्र जोधा की खातेदारी का फौती नामान्तकरण तस्दीक करते समय अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि को भी इसी नामान्तकरण में सम्मलित

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

करते हुये पटवारी हल्का ने नामान्तकरण सं0 563 दिनांक 03.09.04 को फर्जी तरीके से भरा। उक्त नामान्तकरण भरने से पहले रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने दिनांक 29.07.04 को तहसीलदार फुलेरा को एक प्रा0पत्र फर्जी तरीके से झूठे तथ्यो पर इस आशय का पेश किया कि रामू पुत्र जोधा उर्फ नाथू की मृत्यु दिनांक 05.07.02 को हो चुकी है जिस पर तहसीलदार फुलेरा ने पटवारी हल्का को जांच कर रिपोर्ट करने के आदेश दिये जिस पर पटवारी हल्का श्रीरामपुरा ने दिनांक 02.06.04 को अपनी रिपोर्ट लोगो के कहे अनुसार झूठें तथ्यों पर पेश की जिसमें लोगो द्वारा रामू पुत्र जोधा व रामू पुत्र नाथू एक ही व्यक्ति होना बताया गया जिस पर तहसीलदार फुलेरा ने दिनांक 03.09.04 को बाद जांच नामान्तकरण की कार्यवाही करने के आदेश दिये रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने अपने पिता रामू पुत्र जोधा की मृत्यु पर ग्राम पंचायत श्रीरामपुरा के जन्म मृत्यु रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन नं0 11 पर दिनांक 31.07.02 को अपने पिता रामू पुत्र जोधा की मृत्यु दिनांक 05.07.02 होना दर्ज करवाया जिसमे कोई रामू पुत्र जोधा के आगे उर्फ नाथू दर्ज नहीं था। उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 31.07.02 को जारी किया गया है इस प्रमाण पत्र के जारी करने के बाद रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 व मृतक श्रवण व रेस्पोडेन्ट सं0 4 के पिता रामू पुत्र जोधा की मृत्यु के बाद रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 व मृतक श्रवण व रेस्पोडेन्ट नं0 4 ने बेईमानीपूर्वक अपीलान्ट की भूमि हड़प करने के इरादे से एक बार ग्राम पंचायत श्रीरामपुरा द्वारा जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन में रामू पुत्र जोधा की मृत्यु दिनांक 05.07.02 का इन्द्राज कर लेने के बाद पुनः श्रीमान् एस0डी0ओ0 सांभर में गलत शपथ पत्र क्रंमाक 3841 दिनांक 15.12.04 पेश कर रामू पुत्र जोधा के नाम के आगे उर्फ नाथू लगवाने का रेस्पोडेन्ट सं0 1 को कोई अधिकार नहीं था न ही उक्त इन्द्राज किस तारीख को किया गया इसका हवाला है तथा उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र में फर्जी इन्द्राज कर पटवारी हल्का से मिलकर नामान्तकरण सं0 563 दो अलग अलग व्यक्तियो के नाम के अलग अलग खाते होते हुये भी अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि का मृतक रामू पुत्र जोधा के खाते की भूमि के साथ मिलाकर करवा लिया जिसके भरने की तारीख में भी कंटिग है तथा गिरदावर हल्का ने भी अपने विवके का प्रयोग किये बिना, बिना जांच ही अपनी तुलना दिनांक 04.09.04 को एक ही दिन में ही कर दी जिस पर तत्कालीन सरंपच ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया है कि चार खाते अलग अलग व्यक्तियों के नाम से है इसलिए समस्त रिपोर्ट की प्रमाणिकता जांचने के बाद अग्रिम निर्णय लिया जायेगा। साथ ही तत्कालीन सरंपच ग्राम पंचायत श्रीरामपुरा ने भी यह भी नोट लगाया कि रामू पुत्र नाथू जीवित है व बाहर रहता है। रामू पुत्र जोधा व रामू पुत्र नाथू कुम्हार अलग अलग व्यक्ति है उक्त इन्द्राज नोट व टिप्पणी के बाद ग्राम पंचायत के सरंपच का व पटवारी हल्का व सचिव ग्राम पंचायत श्रीरामपुरा का और अधिक दायित्व बढ़ जाता है कि वे इस विषय में गम्भीरता से जांच करते तथा दिनांक 28.02.05 के ग्राम पंचायत श्रीरामपुरा पंचायत मुख्यालय पर राजस्व अधिकारियो का केम्प भी आयोजित होना था जिसमें विचार विमर्श के बाद नामान्तकरण खोला जा सकता था लेकिन गोपीनय तरीके से केम्प से कुछ दिन पहले ही फौसिदा तोर पर नामान्तकरण अवैध तस्दीक कर दिया था। रेस्पोडेन्ट सं0 5 ने रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 व मृतक श्रवण, रेस्पोडेन्ट सं0 4 को नाजायज लाभ पहुचाने व अपीलान्ट को नाजायज हानि पहुचाने के इरादे से दिनांक 21.02.05 को विधि विरूद्व मनमाने तरीके से फौसिदा तौर पर उक्त नामान्तकरण

खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

स्वीकार भारी कानूनी भूल की है इसलिए अपीलान्ट को उक्त अपील पेश करना आवश्यक हुआ है।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट स0 1 लगा0 4, 6, 7 की ओर से वकील श्री अवधेश कुमार पारीक ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेन्ट सं0 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वकील अपीलान्ट ने प्रा0पत्र आर्डर 41 नियम 27 जा0दी0 का पेश किया जिसका रेस्पोडेन्टस की ओर से उक्त प्रा0पत्र का जवाब पेश किया। उक्त प्रा0पत्र आर्डर 41 नियम 27 जा0दी0 का 500 रू0 कॉस्ट पर अपीलान्ट का प्रा0पत्र स्वीकार किया गया।

वकील अपीलान्ट ने लिखित बहस पेश की जिसमें अंकित किया कि उक्त आराजी का आवंटन दिनांक 18.04.64 को अपीलान्ट को किया गया था रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 व मृतक श्रवण तथा रेस्पोडेन्ट सं0 4 मृतक रामू पुत्र जोधा का विवादित आराजीयात से कोई सम्बन्ध नहीं रहा था, रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 तथा मृतक श्रवण व रेस्पोडेन्ट सं0 4 ने उक्त भूमि को नाजायज हड़पने के इरादे से सचिव ग्राम पंचायत व रेस्पोडेन्ट सं0 4 व 5 से साजकर अपीलान्ट के जिंदा होते हुये भी मृतक रामू पुत्र जोधा की खातेदारी का फौती नामान्तकरण तस्दीक करते समय उक्त आराजी को भी नामान्तकरण में सम्मिलित करते हुये फर्जी तरीके से भरकर स्वीकृत किया है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने दिनांक 29.07.04 को फर्जी प्रा0पत्र प्रस्तुत किया जिसमें रामू की मृत्यु दिनांक 05.07.02 को होना अंकित किया। तहसीलदार ने उक्त प्रा0पत्र पर जांच के आदेश दिये तथा दिनांक 03.09.04 को बाद जांच नामान्तकरण की कार्यवाही के आदेश दिये गये ग्राम पंचायत द्वारा गलत इन्द्राज कर लेने के बाद पुनः श्रीमान् एस0डी0ओ0 सांभर में गलत शपथ पत्र क्रंमाक 3841 दिनांक 15.04.04 पेश कर रामू पुत्र जोध के नाम के आगे उर्फ नाथू लगवाने का रेस्पोडेन्ट सं0 1 को कोई अधिकार नहीं था। इस प्रकार गलत व फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर बिना जांच किये व बिना तुलना किये दिनांक 04.09.04 को एक ही दिन में सारी कार्यवाही कर अलग अलग व्यक्तियों के नाम होने के बाजवूद चार खाते एक ही नामान्तकरण में अंकित कर दिये साथ ही तत्कालीन संरपच ग्राम पंचायत श्रीरामपुरा ने भी यह नोट लगाया कि रामू पुत्र नाथू जीवित है व बाहर रहता है इसके बावजूद गलत तरीके से गोपनीय रूप से फौसिदा तौर पर उक्त नामान्तकरण अवैध तस्दीक कर दिया जिसको निरस्त करवाये जाने हेतु यह अपील श्रीमान् के समक्ष वैधानिक आधारों पर प्रस्तुत की गयी है। नामान्तकरण में खाता सं0 139 रामू पुत्र नाथू के नाम थी खाता सं0 19 रामू पुत्र जोधा के नाम थी तथा खाता सं0 29 रामा पुत्र जोधा के नाम थी इस प्रकार चारों खातों में नाम अलग अलग थे खाते भी अलग अलग थे इस प्रकार चार विभिन्न खातो को जिनके कि इन्द्राज अलग हो बिना शुद्वि किये नामान्तकरण एक नहीं भरा जा सकता न ही एक निर्णय पारित किया जा सकता। इसके बावजूद ग्राम पंचायत ने एक निर्णय पारित कर नामान्तकरण स्वीकृत कर कानूनी भूल की है इस आधार पर भी नामान्तकरण निरस्त कर पृथक पृथक आदेश पारित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। रेस्पोडेन्ट सं0 1, 2, 4 ने दिनांक 26.02.05 को फर्जी नामान्तकरण सं0 563 के आधार पर विवादित भूमि पर कब्जा करने आये जिसकी जानकारी होने पर एस0डी0एम0 सांभर व तहसीलदार फुलेरा को दिनांक 02.03.05 को उक्त फर्जी

सांभर लोक

Scanned by CamScanner

नामान्तकरण के विरूद्व कार्यवाही रद्द करने का निवेदन किया जिस पर कोई कार्यवाही नहीं होने से अपील श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। अपीलार्थी की अपील स्वीकार नामान्तकरण सं0 563 दिनांक 21.02.05 ग्राम पंचायत श्रीरामपुरा निरस्त फरमाया जाकर अपील अनुतोष खण्ड में वर्णित अनुतोष अपीलान्ट के पक्ष में पारित करने की कृपा करें।

वकील अपीलान्टस ने अपनी अपील के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांक पेश किये है।

1. आर0आर0टी0 2006(1) पेज नं0 242
2. आर0आर0टी0 2004(1) पेज नं0 356
3. डी0एन0जे0 (राज0) 2012(2) पेज नं0 1098
4. आर0आर0टी0 2011(1) पेज नं0 432
5. आर0आर0टी0 2003(1) पेज नं0 533

वकील रेस्पोडेन्टस ने अपनी लिखित बहस पेश कर अंकित किया कि अपील रामू उर्फ रामलाल पुत्र नानू के द्वारा नामान्तकरण सं0 563 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा आराजी खं0नं0 263 रकबा 2 बीघा, खं0नं0 99 रकबा 2 बीघा 12 विस्वा, खं0नं0 359/370 रकबा 2 बीघा 7 विस्वा, खं0नं0 353 रकबा 4 बीघा 10 विस्वा, खं0नं0 276 रकबा 3 बीघा 14 विस्वा किता 5 रकबा 15 बीघा 5 विस्वा वाकै ग्राम मोरूदा की विरासत का नामान्तकरण मृतक रामू/नानू के बजाय मूलचन्द, कैलाश, श्रवण, गोपाल पुत्रान रामू के नाम तस्दीक किया गया। उपरोक्त आराजी वर्ष 1964 में रामू/नाथू के नाम आवंटित हुयी थी एवं इन्द्राज राजस्व रेकार्ड में रामू/नाथू के नाम से हुआ गैर खातेदारी से इसी प्रकार से खातेदारी तत्पश्चात् कायम हुई। रेस्पोडेन्ट का कथन है कि उनके पिता का नाम रामू था तथा रामू के पिता का नाम जोधा उर्फ नाथू था विवादग्रस्त आराजी का आवंटन रामू/नाथू को हुआ जो कि आवंटन रामू/जोधा उर्फ नाथू के पक्ष में था। रामू/जोधा उर्फ नाथू की मृत्यु दिनांक 05.07.02 को ग्राम मोरूदा में हुई तथा रेस्पोडेन्ट उसके वारिस है। अपीलान्ट ग्राम ईरोलाव का रहने वाला है जो पूर्व में कस्बा सांभर में था तथा वर्तमान में पंचायत तेज्या का बास के अधीन है अपीलान्ट का रामू/जोधा उर्फ नाथू से कोई सम्बन्ध नहीं है न उनका कब्जा है। मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 31.07.02 ग्राम पंचायत श्रीरामपुरा के प्रस्ताव सं0 2 दिनांक 20.07.09 के द्वारा रामू पुत्र जोधा, रामू पुत्र नाथू एक ही व्यक्ति होने के कारण मृत्यु प्रमाण पत्र रामू/जोधा उर्फ नाथू नि0 मोरूदा जारी किया गया। प्रस्ताव सं0 2 रामू के पिता का जोधा उर्फ नाथू स्वीकार किया गया। तहसीलदार सांभर के आदेश दिनांक 03.04.04 के आधार पर पटवारी ने दिनांक 04.04.04 को नामान्तकरण सं0 563 भरा गिरदावर हल्का द्वारा प्रतिविष्टियों को सही माना गया। पूर्व सरंपच केशरदेवी द्वारा चुनाव हारने के पश्चात् चूकि रेकार्ड उसके पास था इस कारण से केशरदेवी एवं उसके पुत्र श्योजीराम ने नामान्तकरण को पुस्त पर कांटछांट रेस्पोडेन्ट को हानि पहुचानें की नियत से की। जिसे फौजदारी प्रकरण सं0 3/05 में अनुसंधान अधिकारीने एफएसएल की रिपोर्ट से ही पाया एवं राज्य सरकार ने भी अपने ज़ांच रिपोर्ट दिनांक 14.06.06 में इन कथनों को सही मानकर केसरदेवी संरपच के विरूद्व अभियोजन की स्वीकृति प्रदान नहीं की। प्रारम्भ से अब तक रेस्पोडेन्ट एवं उसके पिता का कब्जा विवादित भूमि पर रहा है इस तथ्य को राज्य सरकार ने अपनी

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

जांच रिपोर्ट में सही पाया है। अपीलान्ट का विवादग्रस्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है न कब्जा है अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत किये जाने का कोई अधिकार नहीं है पूर्व सरपंच केशरदेवी व उसके पुत्र श्योजीराम के द्वारा जो अवैध कृत्य किये गये है उससे रेस्पोन्डेन्ट के अधिकार प्रभावित नहीं होते है नामान्तकरण सं0 563 रेस्पोन्डेन्ट सं 1 लगा0 4 के पक्ष में नियमानुसार तस्दीक हुआ है अपील खारिज किये जाने योग्य है।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गयी। बकुलाय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं लिखित बहस का अवलोकन अध्ययन व मनन किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि तहसीलदार फुलेरा द्वार आंबटन नियम 1966 के तहत दिनांक 18.06.64 को आंबटन सूची क्रंमाक 9 पर अंकित अनुसार ग्राम गोरूवा स्थित ख0नं0 236, 99, 359/370, 353, 270 में से 15 बीघा 3 बिस्वा भूमि का आंबटन रामू पुत्र नानू कौम कुम्हार को किया गया एवं नामान्तकरण सं0 206 दिनांक 20.11.64 से गैरखातेदारी दर्ज रिकोर्ड हुई तथा जिसे रिकोर्ड में वल्दियत में लिपकीय त्रुटिवंश रामू पुत्र नाथू कौम कुम्हार अंकित किया गया एवं नामान्तकरण सं0 272 दिनांक 04.10.77 से खातेदारी राजस्व रिकोर्ड अंकित किया प्रश्नगत नामान्तकरण सं0 563 दिनांक 06.12.04 को स्वीकृत किया जाना प्रकट होता है उक्त तिथि को पंचायत चुनाव की आचार संहिता प्रभावी थी जिसके अनुसार पंचायत द्वारा नामान्तकरण स्वीकृत किये जाने की अधिकारिता नहीं थी। नामान्तकरण की पुष्त पर अंकित टिप्पणीयों से नामान्तकरण विवादित होना भी प्रकट होता है। धारा 135(2) एल0आर0ऐक्ट के अनुसार विवादित नामान्तकरण के सम्बन्ध पंचायत को निर्णय पारित करने का अधिकार नहीं रहता है इस प्रकार हम पंचायत के द्वारा पारित उक्त निर्णय में क्षेत्राधिकार की त्रुटि पाते है अतः यह अपील आंशिक स्वीकार किया जाना उचित पाते है।

परिणामत अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार कर नामान्तकरण सं0 563 अपास्त कर तहसीलदार फुलेरा को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में विवादित नामान्तकरण सं0 563 के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक की जांच रिपोर्ट पंत्राक एफ.06/2006/629 दिनांक 13.04.06 के संदर्भ में विस्तृत जांच की जावें तथा यदि आंबटित भूमि बाबत् राजस्व नियमों में वर्णित प्रावधानों की किसी भी स्तर पर अवैधानिकता पाई जावें तो उस बाबत् अलग से कार्यवाही प्रस्तावित की जावें एवं यदि किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं पाई जाती है तो विधिवत वारिसान की जांच कर वैधानिक वारिसान के नाम पुनः नामान्तकरण की कार्यवाही की जावें।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2018 को खुले न्यायालय मे टंकण कराया जांकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner